प्रशासनिक अनुभाग जजशिप, सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रशा० आदेश सं०-156 /2021 दिनांक- 19.08.2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व पत्र सं० -1945/LXXXVII-CPC/e-Courts /Allahabad/Dated: 22.04.2021 एवं पत्र सं० -1983/LXXXVII-CPC/e-Courts /Allahabad/Dated: 20.07.2021 के तृतीय पैरा में अधीनस्थ न्यायालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार शनिवार व रविवार बन्द रहने के सम्बन्ध में दिये गए निर्देश को पत्र सं० -2009/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 18.08.2021 के द्वारा राज्य सरकार के पत्र सं०-1416/2021-CX-3 dated-11.08.2021 को दृष्टिगत रखते हुए वापस ले लिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित पत्र सं० - 2009/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 18.08.2021 के अनुपालन में जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी व बाह्य न्यायालय सम्भल व गुन्नौर पूर्व की भांति द्वितीय शनिवार एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़कर, अन्य शनिवार के कार्य दिवसों पर यथावत न्यायिक कार्य करेंगे। यह भी आदेशित किया जाता है कि चतुर्थ शनिवार को जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी एवं बाह्य न्यायालय सम्भल व गुन्नौर के कार्यालय /न्यायालय के कर्मचारीगण के लिए कार्य करने हेतु खुलेंगे। प्रशासनिक लिपिक,जजशिप सम्भल स्थित चन्दौसी को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित पत्र स० -2009/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 18.08.2021 की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की Official website पर अपलोड की जाये तथा एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार-पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

18/08/2021

(भानु देव शर्मा),
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी,
2. पीठासीन अधिकारी, एम.ए.सी.टी. सम्भल,
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी,
4. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
6. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
7. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
8. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण को,
9. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल।